

01-05-17 राजस्व लोक अदालत अभियान-2016 "न्याय आपके द्वार" आयोजित किया जा रहा है। जो में प्रकरण को सुनित किया जाकर पत्रपत्रों कैम्प "रुठोड़ा" दिनांक 16/05/17 को पेश हो। क्रिप

16.05.17 पन्नावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट "रुठोड़ा" पर पेश हुई। मूल वाद तथा टी/डाबि को विधिवत प्रार्थी द्वारा "NOT PRESS" किया गया है।

NOT PRESS

Bhupendra  
रूपेण मे नारियु  
13/5

उक्त प्रार्थी का प्राठपत्र 212 R.T. Act इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाकर स्वार्थिप किया जाता है तथा दिनांक 01.06.16 को जारी अर्थात् निवेद्यावा दायी जाती है। पन्नावली कैम्पल सुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय एकल डिजास कैम्प कोर्ट "रुठोड़ा" पर सुनाया गया।



शिविर  
शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
बल्लभनगर, जिला-उदयपुर  
राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार" 2016